

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जमा भवन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए ज़म्बदार होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 33

दिनांक 12/04/2019

प्रार्थी डा. कुल्लु 3/0 श्री नारायण लाब @ श्रीमती अश्वानी w/o श्री डा. कुल्लु
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2003 कृष्ण मन्दिर के पास, सुभाष

घाट 134 (7) (ख) के तहत आवस्यक भवन निर्माण हेतु मानचित्र अपातप से पेश शताना 3)

का स्वसिधार्थी राशि तपये 12500/- रुपये जमा

आरथ रसीद संख्या 1008/3567, 9568

दिनांक 12/4/2019

यशोदेवी
प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

शशि शर्मा
9462051808